वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 20.07.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज्ञानशिखा टाइम्स, न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 20.07.2025

पांच मंजिला भवन निर्माण की अनुमति, बनवा दिए आठ

घूस लेने के आरोप में जेल भेजे गए जोनल अधिकारियों की कारस्तानी सामने आ रही, वीडीए की टीम कर रही जांच

ललित शंकर पांडेय

वाराणसी। घूस लेने के आरोप में जेल भेजे गए वीडीए जोन-5 के जोनल अधिकारी गौरव सिंह जयप्रकाश, जेई अशोक यादव और एसोसिएट इंजीनियर मोहम्मद अनस ने नक्शा पास किए बगैर ही तीन-तीन मंजिला अतिरिक्त निर्माण की अनुमति दे दी।

रामनगर चौराहे पर पांच मंजिला भवन निर्माण का नक्शा पास हो सकता है फिर भी आठ मंजिला कॉम्प्लेक्स के निर्माण को मंजूरी दे दी। इस कॉम्प्लेक्स तक जाने के लिए न तो मुख्य मार्ग और न ही पार्किंग की व्यवस्था है। बेसमेंट में दुकानें और ऊपर टॉप पर रेस्टोरेंट चलता है। जिम भी है। नोटिस जारी होने के बाद भी निर्माण कार्य रोकने की जहमत नहीं उठाई गई। नोटिस दबा दिया गया है।

विभागीय सूत्रों के मुताबिक रामनगर, सिंधीताली से अलीनगर गोधना हाईवे के बीच व्यावसायिक निर्माण, नए पेट्रोल पंप, होटल, ढाबों पर वीडीए की नजरें इनायत थी। वीडीए जोन-5 के जोनल अधिकारी व एई गौरव सिंह जयप्रकाश, जेई अशोक यादव और एसोसिएट इंजीनियर मोहम्मद अनस ने भी अलग-अलग क्षेत्रों में एजेंट छोड़ रखे थे।

एसोसिएट इंजीनियर की सेवा समाप्त

वाराणसी। भ्रष्टाचार मामले में वीडीए जोन-5 पड़ाव कार्यालय में तैनात एसोसिएट इंजीनियर मोहम्मद अनस की सेवा समाप्त कर दी गई। वहीं, एई गौरव सिंह जयप्रकाश और जेई अशोक यादव के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा जा चुका है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, सोमवार तक दोनों को निलंबित किया जा सकता है। ब्यूरो

हाईवे पर 5 बीघे का लॉन, लक्ष्मी की कृपा पर अफसर मौन

एक कोयला कारोबारी ने अलीनगर व गोधना हाईवे पर लॉन का निर्माण कराया। वीडीए के अफसरों ने लॉन सील करने की धमकी दी और मोटी रकम वसूली। पीडीडीयू नगर के सराफा व्यवसायी के निर्माणाधीन होटल को सील किया गया। बाद में मोटी रकम वसूली गई और हर महीने कुछ रकम देने की शर्त के साथ होटल दोबारा खोल दिया गया। होटल में सेटबैक नहीं है। वहीं, कैलाशपुरी मोड़ के पास खुले नए होटल को सील किया गया।टॉप फ्लोर पर अवैध निर्माण के बावजूद होटल को दोबारा चलाने की अनुमति दे दी गई। एक मल्टीस्टोरी के निर्माण में खुलेआम नियमों को दरकिनार किया गया। वीडीए के एक उच्चाधिकारी ने बताया कि जोन-5 में कार्यों की स्क्रीनिंग कराई जा रही है। जोनल ने जिन भवनों को सील किया और फिर सील हटाई गई, जिसकी जांच नए सिरे से होगी। चँकिया तिराहे के एक बिल्डिंग मेटेरियल्स कारोबारी से ढाई लाख रुपये लिए गए। कई भवन स्वामियों से 25 से 30 हजार रुपये वसूले गए हैं।

दैनिक जागरण–दि0 20.07.2025

वीडीए ने तीन स्थानों पर तोडी अवैध प्लाटिंग

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर शनिवार को अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोन चार के जोनल अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि नगवां वार्ड के कादीपुर में राज बहादुर पांडेय वीडीए से बिना ले-आउट पास कराए आठ बीघा में प्लाटिंग कर रहे थे।

उधर, जोन दो के जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार ने बताया कि सारनाथ वार्ड के चिरईगांव बलुआ में नीरज पांडेय बिना ले-आउट पास कराए करीब 2500 वर्गमीटर में प्लाटिंग कर रहे थे। इसी वार्ड में चिरईगांव बलुआ रोड पर आनंद मौर्य दो हजार वर्ग मीटर अवैध तरीके से प्लाटिंग कर रहे थे। तीनों स्थानों पर बुलडोजर से अवैध बाउंड्री को तोड़ दिया।

हिन्दुस्तान–दि0 20.07.2025

वीडीए ने ध्वस्त कराई अवैध प्लॉटिंग

वाराणसी। वीडीए की ओर से शनिवार को जोन-4 के वार्ड-नगवां में आठ बीघे में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। वहीं, जोनल अधिकारी प्रकाश और अवर अभियंता विनोद कुमार ने बताया कि वार्ड-सारनाथ के अंतर्गत चिरईगांव बलुआ रोड पट्रोल पंप के पीछे लगभग 2500 वर्गमीटर में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई।

हिन्दुस्तान–दि0 20.07.2025

विकास प्राधिकरण के खिलाफ दायर याचिका रद्द

वाराणसी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी विकास प्राधिकरण के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है। प्रकरण के अनुसार गंगा के उच्चतम बाढ़ स्तर से 200 मीटर के दायरे में तथा गंगा तट के 200 मीटर के भीतर आने वाले निर्माण निषेध क्षेत्र में किए जा रहे अवैध एवं अनधिकृत निर्माणों के ध्वस्तीकरण किया गया था। इस पर एक जनहित याचिका काशी उत्कर्ष फाउंडेशन एवं देवाशीष पाल बनाम उत्तर प्रदेश 5 जून को दायर की गई थी।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 20.07.2025

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा वाराणसी विकास प्राधिकरण के पक्ष में जनहित याचिका खारिज

वाराणसी । विकास प्राधिकरण, वाराणसी के विरुद्ध याची श्री देवाशीष पाल, कौटिल्य सोसाइटी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेशों के क्रम में, गंगा नदी के उच्चतम बाढ़ स्तर (H.F.L.) से 200 मीटर के दायरे में तथा गंगा तट के 200 मीटर के भीतर आने वाले निर्माण निषेध क्षेत्र में किए जा रहे अवैध एवं अनधिकृत निर्माणों के ध्वस्तीकरण हेतु एक नवीन जनहित याचिका काशी उत्कर्ष फाउंडेशन एवं देवाशीष पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के रूप में दिनांक 05.07.2025 को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में प्रस्तुत की गई थी। इस प्रकरण में वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश पांडेय, इलाहाबाद द्वारा प्रभावी एवं तथ्यों पर आधारित पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट किया गया कि उपरोक्त विषय पूर्व में ही उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से स्थानांतरित होकर कौटिल्य सोसाइटी व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य के रूप में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT), नई दिल्ली में विचाराधीन है।

NGT के समक्ष इस प्रकरण में गंगा नदी के ॥.स्न.रु का सीमांकन, उसकी सुरक्षा तथा जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना (दिनांक 07.10.2016) में वर्णित दायित्वों के निर्वहन संबंधी कार्यवाही पहले से ही प्रचलित है। ऐसी स्थिति में समान विषयवस्तु पर एक अन्य जनहित याचिका का पुन: उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना विधिसम्मत नहीं है। इन तर्कों को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 09.07.2025 को प्रथम ही सुनवाई में उपर्युक्त जनहित याचिका को निरर्थक एवं पोषणीय न होने के आधार पर खारिज कर दिया गया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 20.07.2025

जोन-2, वार्ड-सारनाथ के अंतर्गत 2 अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी। वार्ड–सारनाथ के अंतगर्त नीरज पाण्डेय द्वारा मौजा– चिरईगांव बलुआ रोड पट्रोल पम्प के पीछे, थाना–चौबेपुर में बिना लेआउट स्वीकृत कराए लगभग 2500 वर्गमीटर में अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तगर्त प्लाटिंगकर्ता द्वारा ले–आउट शमन मानचित्र दाखिल नहीं किया गयाढ्ढ तद्क्रम में प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण आदेश पूर्व में पारित किया गया था। उक्त के क्रम प्लाटिंग करने वाले द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर स्वत ध्वस्तीकरण न कराये जाने के कारण आज दिनांक 19.07.2025 को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड–सारनाथ के अंतगर्त आनन्द मौर्या द्वारा मौजा– चिरईगांव बलुआ रोड पट्रोल पम्प के पीछे, थाना–चौबेपुर में बिना लेआउट स्वीकृत कराए लगभग 2000 वर्गमीटर में अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तगर्त प्लाटिंगकर्ता द्वारा ले–आउट शमन मानचित्र दाखिल नहीं किया गयाढ्ढ तद्क्रम में प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण आदेश पूर्व में पारित किया गया था। उक्त के क्रम प्लाटिंग करने वाले द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर स्वत ध्वस्तीकरण न कराये जाने के कारण आज दिनांक 19.07.2025 को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इस मौके पर जोनल अधिकारी श्री प्रकाश, अवर अभियंता विनोद कुमार व वर्तिका दुबे तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।

न्यायाधीश–दि0 20.07.2025

08 बीघे में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित

वाराणसी।उपाध्यक्ष वविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-4 ,वार्ड-नगवां के अंतर्गत 08 बीघे में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड-नगवां, ग्राम-कादीपुर के अन्तर्गत राज बहादुर पाण्डेय व अन्य द्वारा बिना लेआउट स्वीकृत कराए लगभग 08 बीघे में अवैध प्लाटिंग किया गया, जिसके विरुद्ध आज दिनांक 19/07/2025 को उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार एवं अवर अभियंता आदर्श निराला तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002
Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 20.07.2025

जोन-2, वार्ड-सारनाथ के अंतर्गत 2 अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-2, वार्ड-सारनाथ के अंतर्गत 2 अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड-सारनाथ के अंतगर्त नीरज पाण्डेय द्वारा मौजा- चिरईगांव बलुआ रोड पट्रोल पम्प के पीछे, थाना-चौबेपुर में बिना लेआउट स्वीकृत कराए लगभग 2500 वर्गमीटर में अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तगर्त प्लाटिंगकर्ता द्वारा ले-आउट शमन मानचित्र दाखिल नहीं किया गयाध् तदृक्रम में प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण आदेश पूर्व में पारित किया गया था। उक्त के क्रम प्लाटिंग करने वाले द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर स्वत ध्वस्तीकरण न कराये जाने के कारण आज दिनांक 19.07.2025 को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड-सारनाथ के अंतगर्त आनन्द मौर्या द्वारा मौजा-चिरईगांव बलुआ रोड पट्रोल पम्प के पीछे, थाना-चौबेपुर में बिना लेआउट स्वीकृत कराए लगभग 2000 वर्गमीटर में अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तगर्त प्लाटिंगकर्ता द्वारा ले-आउट शमन मानचित्र दाखिल नहीं किया गयाध् तदृक्रम में प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण आदेश पूर्व में पारित किया गया था। उक्त के क्रम प्लाटिंग करने वाले द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर स्वत ध्वस्तीकरण न कराये जाने के कारण आज दिनांक 19.07.2025 को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।मौके पर जोनल अधिकारी श्री प्रकाश, अवर अभियंता विनोद कुमार व वर्तिका दुबे तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश–दि0 20.07.2025

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा वाराणसी विकास प्राधिकरण के पक्ष में जनहित याचिका खारिज

वाराणसी ।वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के विरुद्ध याची श्री देवाशीष पाल, कौटिल्य सोसाइटी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेशों के क्रम में, गंगा नदी के उच्चतम बाढ़ स्तर से 200 मीटर के दायरे में तथा गंगा तट के 200 मीटर के भीतर आने वाले निर्माण निषेध क्षेत्र में किए जा रहे अवैध एवं अनधिकृत निर्माणों के ध्वस्तीकरण हेतु एक नवीन जनहित याचिका काशी उत्कर्ष फाउंडेशन एवं देवाशीष पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के रूप में दिनांक 05.07.2025 को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में प्रस्तुत की गई थी।इस प्रकरण में वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश पांडेय,ङ इलाहाबाद द्वारा प्रभावी एवं तथ्यों पर आधारित पैरवी करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट किया गया कि उपरोक्त विषय पूर्व में ही मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से स्थानांतरित होकर कौटिल्य सोसाइटी व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य के रूप में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण , नई दिल्ली में विचाराधीन है।NGT के समक्ष इस प्रकरण में गंगा नदी के H.F.L. का सीमांकन, उसकी सुरक्षा तथा जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना (दिनांक 07.10.2016) में वर्णित दायित्वों के निर्वहन संबंधी कार्यवाही पहले से ही प्रचलित है। ऐसी स्थिति में समान विषयवस्तु पर एक अन्य जनहित याचिका का पुनः मा0 उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना विधिसम्मत नहीं है।इन तर्कों को स्वीकार करते हुए मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 09.07.2025 को प्रथम ही सुनवाई में उपर्युक्त जनहित याचिका को निरर्थक एवं पोषणीय न होने के आधार पर खारिज कर दिया गया।

संत रविदास पार्क का सुंदरीकरण, बच्चों के लिए प्ले जोन और ओपन जिम का निर्माण

वाराणसी। नगवां स्थित संत रविदास स्मारक एवं पार्क का सुंदरीकरण कार्य जोरों पर है। 1997 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती द्वारा उद्घाटित इस पार्क का उद्देश्य गंगा तट पर शुद्ध वातावरण प्रदान करना और लोगों को मॉर्निंग वॉक के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ दिलाना था। शुरुआत में बच्चों के लिए झूलों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन समय के साथ पार्क की स्थिति में बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई।